राजस्थान सरकार
निदेशालय, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, ई0एस0आई0 योजना,
लक्ष्मी नगर, अजमेर रोड, जयपुर–6
दूरभाष व फैक्स नं. 0141–2223572
E-mail-dmhsesi@yahoo.co.in./esis-rj@esic.nic.in
Website-http://www.health.rajasthan.gov.in/esi

क्रमांक– प/ई–1/विविध–9/ई.एस.आई./19/ दिनांक–

समस्त चिकित्सा अधिकारी प्रभारी,
क.रा.बी. औषधालय, राजस्थान।

विषय :–चिकित्सा अधिकारी प्रभारियों को अवकाश स्वीकृत करने के सम्बन्ध में।

प्रायः यह ध्यान में लाया गया है कि इस योजना के अधीन कार्यरत प्रभारी अधिकारियों द्वारा अपने अवकाश आवेदन पत्र अपने सम्पर्क अधिकारी के माध्यम से इस निदेशालय को आवश्यक कार्यवाही हेतु नहीं भेजे जा रहे है तथा कई अधिकारियों द्वारा अवकाश का उपभोग करने के पश्चात अवकाश आवेदन पत्र सीधे ही इस निदेशालय को भेजे जाते है जो कि उचित नहीं है। और आवेदन पत्रों की पूर्ण पूर्ति कर प्रेषित नहीं किये जाते है फलस्वरूप अनावश्यक पत्राचार किया जाता है। अतः उक्त सम्बन्ध में निम्न बिन्दुओं की पालना करने हेतु निर्देशित किया जाता है:–

1. चिकित्सा अवकाश का उपभोग करते समय अवकाश पर प्रस्थान करने की सूचना व रूग्ण प्रमाण पत्र उचित माध्यम से यथासमय भेजे जावें।
2. उपार्जित/चाईल्ड केयर लीव का उपभोग करने हेतु आवेदन पत्र अवकाश पर प्रस्थान करने के 15 दिवस पूर्व उचित माध्यम से भेजे जावें। अवकाश स्वीकृति पश्चात ही अवकाश का उपभोग किया जावें।
3. जिन औषधालयों में एक चिकित्सक कार्यरत है वे अपने सम्पर्क अधिकारी के स्तर से किसी अन्य चिकित्सक की व्यवस्था करा कर अवकाश आवेदन पत्र भिजवायें जावें।
4. अवकाश के उपभोग करने के पश्चात कार्यग्रहण सूचना भिजवायी जावें।

प्रभारी अधिकारी अपने सभी प्रकार के अवकाश आवेदन पत्र अपने सम्पर्क अधिकारी के माध्यम से इस निदेशालय को प्रेषित करेंगे अन्यथा अवकाश स्वीकृति पर विचार नहीं किया जावेंगा।

(डॉ0 राधेश्याम छीपी)
निदेशक एवं पदेन उप सचिव

क्रमांक– प/ई–1/विविध–9/ई.एस.आई./19/108 दिनांक– 22/01/19

प्रतिलिपि समस्त सम्पर्क अधिकारी प्रभारी, क.रा.बी. चिकित्सालयों/औषधालयों को प्रेषित कर लेख है कि आपके अधीन कार्यरत प्रभारियों द्वारा अवकाश आवेदन पत्र प्रस्तुत करने पर मय अपनी अनुशंषा सहित इस निदेशालय को आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित करेंगे।

(डॉ0 राधेश्याम छीपी)
निदेशक एवं पदेन उप सचिव